


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1945]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2016/श्रावण 14, 1938

No. 1945]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2016/SRAVANA 14, 1938

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2016

का.आ. 2614(अ).—विध्वंसक कीट व नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) के खंड 3 के उप खंड

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में संशोधन हेतु एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात:-

1. लघु शीर्ष एवं प्रारंभ -

(1) इस आदेश को पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन)

(सातवाँ संशोधन) आदेश, 2016 कहा जाए।

(2) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. अनुसूची VI में संशोधन - पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची VI में-

(i) खपत के लिए 'ड्राई फ्रूट' के लिए क्रम संख्या 184 के लिए, जुगलंस एसपीपी (अखरोट) के संबंध में, प्रविष्टि (ii) के लिए कॉलम (3) में, चिली के संबंध में क्रम संख्या (II) के कॉलम (4) में प्रविष्टि के लिए, कॉलम 5 और 6 में मौजूदा प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

(5)	(6)
से मुक्त: क) पंटोमोरस सेरविनुस (फुलर रोज़ बीटल)	कम से कम 5-7 दिनों के लिए 9 ग्राम/मीट्रिक टन पर एल्युमिनियम फास्फाइड (एएलपी) के साथ धूमना। उपचार उद्गम देश/पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकित होना चाहिए।

(ii) पाम फलों (सेब, नाशपाती (पाईरस एसपीपी) और क्विंस (साइडोनिया एसपीपी) के संबंध में प्रविष्टि 1 के लिए कालम (2) क्रम संख्या 262 के लिए और खपत के लिए ताजे फल के संबंध में प्रविष्टि (III) के लिए कालम (3) में, अर्जेंटीना के संबंध में क्र.सं. (XV) के कालम (4) में प्रविष्टि के लिए कालम 6 में मौजूद प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

आयात की विशेष स्थितियां
6
40 दिनों के लिए 0.0 डिग्री सेल्सियस की दर पर पूर्व शिपमेंट/इन ट्रांजिट शीत उपचार उपचार उद्गम देश/पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित होना चाहिए।

(iii) कालम (3) में स्टेविया एसपीपी के संबंध में क्र.सं. 296 के लिए प्रविष्टि को इसके मद सं. (1) और मद सं (1) के पुनः क्रमांकन के पश्चात और कालम (3), (4), (5) और (6) में इससे संबंधित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को क्रमशः शामिल किया जाएगा नामतः

पादप सामग्री की श्रेणी	मूल देश	पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र में शामिल की जाने वाली अपेक्षित अतिरिक्त घोषणाएं	आयात की विशेष शर्तें
(3)	(4)	(5)	(6)
(ii) फैलाव के लिए कटाई	(i) केन्या	से मुक्त- सेपटोरिया स्टेविचाई (सेपटोरिया लीफ स्पॉट)	45 दिनों की अवधि के लिए पश्च प्रविष्टि संगरोध

(iv) खपत के लिए ताजा फल प्रविष्टि के लिए कालम (3) में डियोस्पीरोस काकी (प्रसिमन) के संबंध में क्र.सं. 461 के लिए मद (II) के पश्चात और कालम (4), (5) और (6) में इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों के क्रमशः शामिल किया जाएगा, नामतः

(4)	(5)	(6)
(III) दक्षिण अफ्रीका	से मुक्त- क) सेराटिटिस केपिटाटा (मेडिटरानेन फ्रूटफ्लाइ) (ख) सेराटिटिस रोजा (नटाल फल मक्खी)	क. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सेटाविटिस एसपीपी के लिए कीट मुक्त क्षेत्र स्थिति अथवा 10 दिनों के लिए 0 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे नीचे; 11 दिनों के लिए

	<p>(ग) पेंटोमोरस सर्विनस (फूलर गुलाब बीटल)</p> <p>(घ) ताओमेटोटिबिया ल्यूकोटेरेटा (फाल्स कोडलिंग कीट)</p> <p>(ड.) डेलेटोकोकस एलीसाबेथेइ (मिली बग)</p> <p>(च) हेलियोपेथ्रिस सिल्वेनस (थ्रिप्स)</p> <p>(छ) प्लेनोकोकस फिकस (वाइन मिली बग)</p> <p>(ज) प्रिटोसेला वेन्ट्रिकोसा (स्नाइल)</p> <p>(झ) स्यूडनोकोकस कैल्सियोलेराइ (सिट्रोफिलस मिली बग)</p> <p>(ट) स्यूडनोकोकस विबर्नी (नाशपाती और सेब मिली बग)</p>	<p>0.55 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे नीचे; 12 दिनों के लिए 1.1 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे नीचे; पूर्व शिपमेंट शीत उपचार तथा फल मक्खियों के विरुद्ध इन ट्रांजिट रेफ्रिजरेशन और</p> <p>ख. एनएपी अथवा इसके समकक्ष पर 21 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे अधिक पर 2 घंटे के लिए 32ग्राम/घन मीटर की दर पर एमबीआर धूमन।</p> <p>उपचार उद्गम देश/पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित होना चाहिए।</p>
--	--	---

(v) कालम (4) में खपत के लिए फलों के संबंध में प्रविष्टि (II) के लिए कालम (3) में मैंगीफेरा इंडिका (आम) के संबंध में क्र.सं. 484 के लिए मौजूदा प्रविष्टि को मद (I) में पुनः क्रमांकित किया जाएगा और मद (I) के पुनः क्रमांकन के पश्चात कालम (5) और 6 में इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को क्रमशः शामिल किया जाएगा:-

(4)	(5)	(6)
(II) दक्षिण अफ्रीका	<p>(क) सेराटिटिस केपिटाला (मेडिटरानेन फ्रूटफ्लाइ)</p> <p>(ख) सेराटिटिस कोस्यारा (आम फल मक्खी)</p> <p>(ग) सेराटिटिस पंकटाटा (कोकाओ फल मक्खी)</p> <p>(घ) सेराटिटिस रोजा (नटाल फल मक्खी)</p> <p>(ड.) क्लावरिगराला टोमेंटोसिकोल्लिस (अफ्रीकन पाँड बग)</p> <p>(च) स्यूडोकोकस जैकबियर्डलेइ (जैक बियर्डलेक मिली बग)</p> <p>(छ) स्यूडोथेराप्टस वाइ (नारियल बग)</p> <p>(ज) सेलेनास्पिडस आर्टिकुलेट्स (पश्चिमी भारतीय रेड स्केल)</p> <p>(झ) थउमेटोटिबिया लिकोटेरेटा (फाल्स कोडलिंग कीट)</p>	<p>एनएपी के तहत 21 डिग्री से सेल्सियस और अधिक अथवा इसके समकक्ष पर 2 घंटे के लिए 32 ग्रा./घनमी. पर एमबीआर धूमन अथवा भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार द्वारा यथा अनुमोदित कोई अन्य उपचार।</p> <p>उपचार उद्गम देश/पुनःनिर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित होना चाहिए।</p>

(vi) खपत के लिए ताजे फल के संबंध में प्रविष्टि (II) के लिए कालम (3) में पेरासिया अमेरिकाना (एवोकाडो) से संबंधित क्र.सं. 564 के लिए पेरू के संबंध में क्र.सं. (II) के कालम (4) में प्रविष्टि के लिए कालम (5) और (6) में मौजूदा प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः

पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र में शामिल की जाने वाली अपेक्षित अतिरिक्त घोषणाएं	आयात की विशेष शर्तें
(5)	(6)
से मुक्त स्टेनोमा कैटेनाइफर (एवोकाडो कीट)	(क) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्टेनोमा कैटेनाइफर (एवोकाडो कीट) के लिए कीट मुक्त स्थिति अथवा (ख) एनएपी के तहत 21 डिग्री सेल्सियस अथवा अधिक पर साढ़े तीन घंटे के लिए 32 ग्राम/घ.मी. की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड धूमन अथवा इसके समकक्ष उपचार उद्भ्रम देश/पुनः निर्यात के देश में जारी पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित होना चाहिए।

3. अनुसूची VII का संशोधन- क्र.सं. 298 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची VII में निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां शामिल होंगी नामतः “299 सेलेटियम टोरटोसम – औषधीय/सेवन उद्देश्य के लिए कन्ना पत्ते (सूखे)”

[फा. सं. 8-1/2016-पीपी.II]

आर. के. सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: पादप संगरोध (भारत के आयात का विनियमन), आदेश, 2003 को 18 नवम्बर, 2003 के का.आ. 1322 (अ) में प्रकाशित किया गया था तथा इसके बाद दिनांक 6 फरवरी, 2004 के का.आ. 167(अ), 29 मार्च, 2004 के का.आ. 427(अ), 31 मई, 2004 के का.आ. 644(अ), 25 फरवरी, 2005 के का.आ. 263(अ), 31 मार्च, 2005 के का.आ. 462(अ), 14 जुलाई, 2006 के का.आ. 1121(अ), 31 जुलाई, 2006 के का.आ. 1353(अ), 31 अक्टूबर, 2006 के का.आ. 1873 (अ), 6 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2074 (अ), 3 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 2069(अ), 1 जनवरी, 2008 के का.आ. 3 (अ), 8 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2847 (अ), 15 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2888(अ), 9 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2286 (अ), 16 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2390(अ), 23 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3269(अ), 24 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3298 (अ), 21 अप्रैल, 2010 के का.आ. 907(अ), 27 अगस्त, 2010 के का.आ. 2095(अ), 15 सितम्बर, 2010 के का.आ. 2284(अ), 11 अक्टूबर, 2010 के का.आ. 2516(अ), 4 नवम्बर, 2010 के का.आ. 2711(अ), 28 दिसम्बर, 2010 के का.आ. 3052(अ), 28 अप्रैल, 2011 के का.आ. 887(अ), 21 दिसम्बर, 2011 के का.आ. 2845(अ), 17 फरवरी, 2012 के का.आ. 296(अ), 23 नवम्बर, 2012 के का.आ. 2775(अ), 21 मार्च, 2013 के का.आ. 799(अ), 28 मई, 2013 के का.आ. 1378(अ), 14 जून, 2013 के का.आ. 1531(अ), 26 सितम्बर, 2013 के का.आ. 2919(अ), 13 जून, 2014 के का.आ. 1508(अ), 27 जून, 2014 के का.आ. 1632(अ), 12 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2320(अ), 29 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2542(अ), 11 नवम्बर, 2014 के का.आ. 2879(अ), 10 दिसम्बर, 2014 के का.आ. 3114(अ), 26 मई, 2015 के का.आ. 1413(अ), 15 सितम्बर, 2015 के का.आ. 2496(अ), 13 जनवरी, 2016 के का.आ. 101(अ), 7 मार्च, 2016 के का.आ. 608(अ), का.आ. 1873(अ) दिनांक 25 मई, 2016, का.आ. 2192(अ) दिनांक

20 जून, 2016, का.आ. 2048(अ) दिनांक 29 जून, 2016, का.आ. 2453(अ) दिनांक 05 जुलाई, 2016 के माध्यम से संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2016

S. O. 2614(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:—

Short title and Commencement.- (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Seventh Amendment) Order, 2016.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule VI.- In the Schedule VI to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003-

(i) Against serial number 184, relating to *Juglans spp.* (Walnut), in column (3) against the entry (ii) regarding Dry Fruits for consumption, against the entry in column (4), of serial no. (ii) relating to 'Chile', the existing entries in columns (5) and (6) shall be substituted by the following, namely:-

(5)	(6)
Free from: a) <i>Pantomorus cervinus</i> (Fuller's rose beetle)	Fumigation with Aluminium Phosphide (ALP) at 9 gm/metric ton for minimum 5-7 days. The treatment shall be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.

(ii) Against serial number 262, in column (2) against the entry (i) relating to "Pome Fruits (Apple, Pear (*Pyrus spp.*) and Quince (*Cydonia spp.*)" in column (3) against the entry (iii) regarding "Fresh Fruit for Consumption", against the entry in column (4) of serial no. (xv) relating to 'Argentina', the existing entries in column (6) shall be substituted by the following, namely:-

Special conditions of import
(6)
"Pre-shipment/In-transit cold treatment @ 0.0°C for 40 days". The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.

(iii) Against serial number 296 relating to *Stevia spp.* in Column (3), the entry shall be re-numbered as item (i) thereof and after item (i) as so re-numbered and the entries relating thereto in columns (3), (4), (5) and (6), the following item and entries shall respectively be inserted namely:-

Category of plant material	Country of origin	Additional declarations required to be incorporated into Phytosanitary Certificate	Special conditions of import
(3)	(4)	(5)	(6)
(ii) Cuttings for propagation	(i) Kenya	Free from: <i>Septoria steviae</i> (Septoria leaf spot)	Post-entry quarantine for a period of 45 days.

(iv) Against serial number 461, relating to *Diospyros kaki* (Persimmon) in column (3) against entry 'Fresh fruits for consumption, after item (ii) and entries relating thereto in columns (4),(5) and (6), the following item and entries relating thereto shall respectively be inserted, namely:-

(4)	(5)	(6)
(iii) South Africa	Free from: a) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) b) <i>Ceratitis rosa</i> (Natal fruit fly) c) <i>Pantomorus cervinus</i> (Fuller's rose beetle) d) <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (False codling moth) e) <i>Delottococcus elisabethae</i> (Mealy bug) f) <i>Heliophris sylvanus</i> (Thrips) g) <i>Planococcus ficus</i> (Vine mealy bug) h) <i>Prietocella ventricosa</i> (Snail) i) <i>Pseudnococcus calceolariae</i> (Citrophilus mealy bug) j) <i>Pseudnococcus viburni</i> (Pear and Apple mealy bug)	a) Pest free area status for <i>Ceratitis spp.</i> as per international standards or Pre shipment cold treatment at 0°C or below for 10 days; 0.55°C or below for 11 days; 1.1°C or below for 12 days plus in-transit refrigeration against fruit flies and b) MBr fumigation @ 32 g/cubic metre for 2 hrs at 21°C or above at NAP or equivalent thereof. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.

(v) Against serial number 484, relating to *Mangifera indica* (Mango), in column (3) against the entry (ii) regarding fruits for consumption, in column (4), the existing entry shall be re-numbered as item (i) thereof and after (i) as so re-numbered and the entries relating thereto in columns (5) and (6), the following item and entries shall respectively be inserted, namely:-

(4)	(5)	(6)
(ii) South Africa	a) <i>Ceratitis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) b) <i>Ceratitis cosyra</i> (Mango fruit fly) c) <i>Ceratitis punctata</i> (Cacao fruit fly) d) <i>Ceratitis rosa</i> (Natal fruit fly) e) <i>Clavigralla tomentosicollis</i> (African pod bug) f) <i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i> (Jack Beardsley mealybug) g) <i>Pseudothrips wayi</i> (Coconut bug) h) <i>Selenaspidus articulatus</i> (West Indian red scale) i) <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (False codling moth)	MBr fumigation @32 g/cubic meter for 2 hrs at 21°C and above or equivalent thereof under NAP or any other treatment duly approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the Country of Origin/re-export.

(vi) Against serial number 564, relating to “*Persea americana* (Avocado)” in column (3) against the entry (ii) regarding “Fresh Fruit for Consumption”, against the entry in column (4) of serial no. (ii) relating to ‘Peru’, the existing entries in columns (5) and (6) shall be substituted by the following, namely:—

Additional declarations required to be incorporated into Phytosanitary Certificate	Special conditions of import
(5)	(6)
Free from: <i>Stenoma catenifer</i> (avocado moth)	(a) Pest free status for <i>Stenoma catenifer</i> (avocado moth) as per international standards or (b) Methyl Bromide fumigation @ 32 g/M ³ for 3 ^{1/2} hrs at 21 ⁰ C or above under NAP or equivalent thereof The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/re-export.

3. Amendment of Schedule VII.- In the Schedule VII to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 after serial number 298 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely:-

“299 *Sceletium tortuosum* – Kanna leaves (dried) for medicinal/consumption purpose.”

[F.No. 8-1/2016-PP.II]

R. K. SINGH, Jt. Secy.

Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, vide, number S.O. 1322 (E) dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number S.O.167(E), dated 6th February 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462 (E), dated 31st March 2005, S.O. 1121 (E), dated 14th July 2006, S.O. 1353 (E), dated 31st July 2006, S.O. 1873 (E), dated 31st October 2006, S.O. 2074 (E), dated 6th December 2006, S.O. 2069 (E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 1st January, 2008, S.O. 2847 (E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888 (E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286 (E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390 (E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269(E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298(E), dated 24th December, 2009, S.O. 907(E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516(E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711(E) dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E) dated 28th December, 2010, S.O. 887(E) dated 28th April, 2011, S.O. No. 2845 (E) dated 21st December, 2011, S.O. No.296 (E) dated 17th February, 2012 and S.O. 2775(E) 23rd November, 2012, S.O.799(E) dated 21st March, 2013, S.O.1378(E) dated 28th May, 2013, S.O.1531(E) dated 14th June, 2013, S.O.2919(E) dated 26th September, 2013, S.O.1508(E) dated 13th June, 2014 and S.O. No.1632(E) dated 27th June, 2014, S.O. No.2320(E) dated 12th September, 2014, S.O. No. 2542(E) dated 29th September, 2014, S.O. No.2879(E) dated 11th November, 2014, S.O. No. 3114(E) dated 10th December, 2014, S.O. No. 1413(E) dated 26th May, 2015, S.O. No. 2496(E) dated 15th September, 2015, S.O. No. 101(E) dated 13th January, 2016, S.O. No. 608(E) dated 7th March, 2016, S.O. No.1873(E) dated 25th May, 2016, S.O. No.2192(E) dated 20th June, 2016, S.O. No. 2248(E) dated 29th June, 2016 and S.O. 2453(E) dated 5th July, 2016.